फर्द अहकाम

भोमा बनाम लादू वगै.

14/2007

क्रमांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने से दोनों पक्षों में सहमति नहीं हो पाई। पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार आइंदा दिनांक 5.9.18 को पेश हो।	
5.9.18	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. राजकार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक 12.2.19 को पेश हो।	
12/2/19	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अवकाश पर होने से जनरल डेट दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 26/3/19 को पेश हो।	
26/3/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. उपस्थित है। प्रतिवादी गणों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। बार बार आवाज लगवाई गई। तथा इन्तजार करने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए प्रतिवादी गणों के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बाद में बहस एक तरफा वादी की सुनी गई। बहस में वादी के वकील ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये कथन किया की वादी की खातेदारी भूमि ख.न. 1313/1465 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा पर	

सहायक कलेक्टर
जमवारामगढ़, जयपुर

फर्द अहकाम

भौमा बनाम लादू वगै.

नाम न्यायालय

केस संख्या 14/2007

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		प्रतिवादीगणो का कोई अधिकार नही है। परन्तु प्रतिवादीगण पडोसी खातेदार होने की वजह से वादी की उक्त भूमी पर कब्जा करने की नियत से डोल बांधकर अतिक्रमण करने का प्रयास/आमादा है। तथा प्रतिवादीगण ने धमकिया दी है कि वह वादी की उक्त भूमी पर कब्जा करके रहेगे। इसलिए वादी का वाद डिक्री किया जावे। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि ख.न. 1313/1465 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के वादीगण खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगणो का इससे कोई सम्बन्ध नही है कि वह वादी की उक्त भूमी पर डोल बांधकर कब्जा करे एवं वादी को बेकाबिज करे। धारा 188 मे खातेदार उसके अधिकारो से सुरक्षा प्रदान की गयी है। जिसमे दूसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही है। अर्थात धारा 188 का प्रावधान खातेदार की भूमी की सुरक्षार्थ बनाया गया है। अतः वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तथा प्रतिवादीगणो को पाबन्द किया जाता है कि वह ख.न.	

सहायक कलक्टर
जमवारामगढ़, जयपुर

Scanned by CamScanner

2007/0025

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय भोमा बनाम लादू वगै

केस संख्या 14/2007

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		1313/1465 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा की सीमाओ मे किसी भी प्रकार से डोल बाधकर अतिक्रमण न करे। नियमानुसार डिग्री जारी हो एवं पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखील दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ जयपुर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.01.21 16:43:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: